2021 का विधेयक संख्यांक 104.

[दि इन्सोलवेंसी एंड बैंकरपसी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह 4 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2016 का 31

धारा 4 का संशोधन ।

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अध्याय 3क के अधीन निगम ऋणियों की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित मामलों के लिए उच्चतर मूल्य के व्यतिक्रम की न्यूनतम रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(2क) "आधारिक समाधान योजना" से धारा 54क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन निगमित ऋणी द्वारा उपलब्ध कराई गई समाधान योजना अभिप्रेत है ;' ;

(ii) खंड (5) के उपखंड (ख) में, "निगमित दिवाला संकल्प" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, निगमित दिवाला समाधान" या "पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (11) में, "निगमित दिवाला संकल्प" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, निगमित दिवाला समाधान" या "पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (15) में, "प्रक्रिया अवधि" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, या पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया कालावधि के दौरान किसी निगमित ऋणी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (19) में, "के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर "अध्याय 6 और अध्याय 7 के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) खंड (23) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(23क) "प्रारंभिक सूचना" से धारा 54छ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निगमित ऋणी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन अभिप्रेत है ;

(23ख) "पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ की तारीख" से धारा 54ग की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए किसी आवेदन को स्वीकार करने की तारीख अभिप्रेत है ;

(23ग) "पूर्व निर्धारित" दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत से—

(क) किसी अंतरिम वित्त की रकम और उस वित को एकग करने के लिए उद्भूत लागत ;

(ख) किसी समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को संदेय फीस तथा धारा 54च की उपधारा (6) के अधीन रहते हुए पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने के लिए उसके द्वारा उपगत किसी व्यय के लिए ;

(ग) धारा 54ञ की उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किसी चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी का कारबार चलाने के लिए समाधान वृत्तिक द्वारा उपगत की लागत ;

(घ) सरकार द्‌वारा पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए उपगत व्यय की कोई लागत ; और

(ङ) कोई अन्य लागत, जो विनिर्दिष्ट की जाए,

अभिप्रेत है ;

(23घ) "पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया कालावधि" से पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि अभिप्रेत है जिसको, यथास्थिति, धारा 54ठ की उपधारा (1) या धारा 54ढ की उपधारा (1) या धारा 54ण की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्‌वारा कोई आदेश पारित किया गया था ;' ;

(vii) खंड (25) में "धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "यथास्थिति, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) या धारा 54ट के अनुसरण में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(viii) खंड (27) में "निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) खंड (क) में "निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्दों के पश्चात् "या पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) कोई वित्तीय लेनदार या किसी निगमित ऋणी का पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रियाधीन कोई निगमित ऋणी ; या";

(iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) कोई निगमित ऋणी जिसके संबंध में आवेदन करने की तारीख से बारह पूर्ववर्ती मास में अध्याय 3क के अधीन कोई समाधान योजना अनुमोदित की गई है; या" ।

नई धारा 11क का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 54ग और धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन आवेदनों का निपटारा ।

"11क. (1) जब धारा 54ग के अधीन फाइल किया गया कोई आवेदन लंबित है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन पारित किसी आवेदन पर विचार करने से पूर्व धारा 54ग के अधीन ऐसे आवेदन के लंबन के दौरान उसी निगमित ऋणी के संबंध में ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा ।

(2) जब धारा 54ग के अधीन कोई आवेदन धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन फाइल किसी आवेदन के चौदह दिन के भीतर उसी निगमित ऋणी के

संबंध में फाइल किया जाता है, जो लंबित है जिसके संबंध में धारा 7, धारा 9 और धारा 10 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पहले धारा 54ग के अधीन आवेदन का निपटान करेगा ।

(3) जब धारा 54ग के अधीन कोई आवेदन उसी निगमित ऋणी के संबंध में धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन कोई आवेदन फाइल करने के चौदह दिन के पश्चात् फाइल किया जाता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पहले धारा 54ग के अधीन आवेदन का निपटान करेगा ।

(4) इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन कोई आवेदन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख को लंबित है ।"।

धारा 33 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (3) में, "ऋण द्वारा" शब्दों के पश्चात् "धारा 31 या धारा 54ठ की उपधारा (1) के अधीन" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 34 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में, "अध्याय 2" शब्द और अंक के पश्चात् "या अध्याय 3क के अधीन पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 3क

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया

निगमित ऋणियों का पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र होना ।

54क. (1) पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के रूप में वर्गीकृत निगमित ऋणी के संबंध में आवेदन किया जा सकेगा । 2006 का 27

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए किसी निगमित ऋणी के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आवेदन किया जा सकेगा जिसने धारा 4 में निर्दिष्ट व्यतिक्रम कारित किया है,—

(क) वह प्रारंभ होने की तारीख से तीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, यथास्थिति, पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन नहीं रहा है या उसने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी नहीं की है ;

(ख) वह निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन नहीं है ;

(ग) धारा 33 के अधीन परिसमापन की अपेक्षा का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ;

(घ) वह धारा 29क के अधीन समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र है ;

(ङ) निगमित ऋणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी संख्या में और

ऐसी रीति में वित्तीय लेनदार, जो संबंधित पक्षकार नहीं है, जिन्होंने निगमित ऋणी और निगमित ऋणी के वित्तीय लेनदारों की पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए दिवाला समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए दिवाला समाधान वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव किया है, जो उसके संबंधित पक्षकार नहीं है, जो ऐसे लेनदारों को देय वित्तीय ऋण के मूल्य के साठ प्रतिशत से अन्यून का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने ऐसे प्रस्ताव का ऐसे प्ररूप में अनुमोदन कर दिया है जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु जहां किसी निगमित ऋणी का कोई वित्तीय लेनदार संबंधित पक्षकार के रूप में नहीं है तो इस खंड के अधीन प्रस्ताव और अनुमोदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपबंधित किया जाएगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(च) निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों के बहुमत द्वारा ऐसे प्ररूप में घोषणा की गई है, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ कथन किया गया है कि,—

(i) निगमित ऋणी नब्बे दिन से अनधिक निश्चित समयावधि के भीतर पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करेगा ;

(ii) पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया किसी व्यक्ति के साथ कपट करने के लिए आरंभ नहीं की जा रही है ; और

(iii) खंड (ङ) के अधीन नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित दिवाला वृत्तिक का नाम का कथन किया गया है ;

(छ) निगमित ऋणी के सदस्यों ने, यथास्थिति, या कुल भागीदारों के कम से कम तीन चौथाई ने एक विशेष संकल्प पारित किया है जिसमें पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने का अनुमोदन किया है ।

(3) निगमित ऋणी अपने वित्तीय लेनदारों से जो उसके संबंधित पक्षकार नहीं है, जो ऐसे लेनदारों को देय वित्तीय ऋण के मूल्य का छियासठ प्रतिशत से अन्यून का प्रतिनिधित्व करते है, ऐसे प्ररूप में, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परंतु जहां निगमित ऋणी के कोई ऐसे वित्तीय लेनदार नहीं है जो उसके संबंधित पक्षकार है, इस उपधारा के अधीन अनुमोदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाए ।

(4) उपधारा (3) के अधीन वित्तीय लेनदारों से अनुमोदन की ईप्सा करने से पूर्व, निगमित ऋणी ऐसे वित्तीय लेनदारों को—

(क) उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट घोषणा उपलब्ध कराएगा ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (छ) में निर्दिष्ट विशेष संकल्प या संकल्प

उपलब्ध कराएगा ;

(ग) एक आधारिक समाधान योजना जो धारा 54ट में निर्दिष्ट अपेक्षाओं और ऐसी अन्य शर्तों, जो विनिर्दिष्ट की जाए, के अनुरूप हो ; और

(घ) ऐसी अन्य सूचना और दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपलब्ध कराएगा ।

पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व समाधान वृत्तिक के कर्तव्य ।

54ख. (1) समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक के धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन अनुमोदन की तारीख से प्रारंभ हो कर निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे प्ररूप में, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, यह पुष्ट करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करना कि क्या निगमित ऋणी धारा 54क की अपेक्षाओं को पूरा करता है और आधारिक समाधान योजना धारा 54क की उपधारा (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप है ;

(ख) बोर्ड के पास ऐसी रिपोर्टें और दस्तावेज फाइल करना, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिवाला वृत्तिक के कर्तव्य, यथास्थिति, समाप्त हो जाएंगे, यदि,—

(क) निगमित ऋणी धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट कथित घोषणा की समयावधि के भीतर पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने में असफल रहता है ; या

(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है ।

(3) दिवाला वृत्तिक को उपधारा (1) के अधीन निष्पादित कर्तव्यों के संबंध में संदेय फीस का अवधारण और उसको चुकाया जाना ऐसी रीति में होगा, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, तथा ऐसी फीस पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का एक भाग होगी, यदि पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है ।

पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन ।

54ग. (1) जब कोई निगमित ऋणी धारा 54क की अपेक्षाओं को पूरा करता है, उसके लिए कोई निगमित आवेदक पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास आवेदन फाईल कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ फाइल किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) निगमित आवेदक, आवेदन के साथ—

(क) एक घोषणा, यथास्थिति, विशेष संकल्प या संकल्प और धारा 54क के निबंधनों में पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के

लिए वित्तीय लेनदारों का अनुमोदन संलग्न करेगा ;

(ख) धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन यथा अनुमोदित समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक का नाम और लिखित सहमति ऐसे प्ररूप में जो विनिर्दिष्ट किया जाए तथा धारा 54ख की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट उसकी रिपोर्ट ;

(ग) निगमित ऋणी के किन्हीं संव्यवहारों, जो अध्याय 3 के अधीन संव्यवहारों के अपवंचन के संबंध में उपबंधों के परिणाम के भीतर हों या अध्याय 4 के अधीन कपटपूर्ण या सदोष संव्यवहारों की विद्‌यमानता के संबंध में ऐसे प्ररूप में जो विनिर्दिष्ट किया जाए, घोषणा ;

(घ) निगमित ऋणी की लेखाबहियों और ऐसी कालावधि से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेजों से संबंधित सूचना ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर आदेश द्‌वारा,—

(क) आवेदन को स्वीकार करेगा, यदि वह पूर्ण है ; या

(ख) आवेदन को अस्वीकार करेगा, यदि वह अपूर्ण है :

परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी आवेदन को अस्वीकार करने से पूर्व आवेदक को आवेदन में किसी त्रुटि का न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्‌वारा दी गई सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर सुधार करने के लिए सूचना देगा ।

(5) पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन आवेदन के स्वीकार करने की तारीख से प्रारंभ होगी ।

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा ।

54घ. (1) पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया, पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति द्‌वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, यथास्थिति, धारा 54ट की उपधारा (4) या उपधारा (12) के अधीन पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(3) जब किसी समाधान योजना को लेनदारों की समिति द्‌वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अनुमोदित नहीं किया जाता है तो समाधान वृत्तिक ऐसी समयावधि के अवसान के पश्चात् आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अधिस्थगन की घोषणा और लोक आख्यापन ।

54ङ. (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख को धारा 54ग के अधीन स्वीकृति आदेश के साथ—

(क) धारा 14 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिस्थगन की घोषणा करेगा जो आवश्यक उपांतरणों के साथ इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को लागू होगी ;

(ख) एक समाधान वृत्तिक की नियुक्ति—

(i) जैसा कि आवेदन में नामित किया गया है, यदि उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है : या

(ii) बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर यदि आवेदन में नामित दिवाला वृत्तिक के विरूद्ध कोई आनुशासनिक कार्यवाही लंबित है ;

(ग) समाधान वृत्तिक द्वारा की जाने वाली पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ का ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् लोक आख्यापन कारित करेगा ।

(2) अधिस्थगन का आदेश ऐसे आदेश की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिसके पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया समाप्त होती है ।

दिवाला समाधान वृत्तिक के पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कर्तव्य और शक्तियां ।

54च. (1) दिवाला वृत्तिक किसी निगमित ऋणी की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान संचालन करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 54छ के अधीन निगमित ऋणी द्वारा प्रस्तुत दावों की सूची की ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, पुष्टि करेगा ;

(ख) खंड (ख) के अधीन पुष्टि किए गए उनके दावों के संबंध में लेनदारों को ऐसी रीति में सूचित करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ग) दावों की अद्यतन सूची ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, रखेगा ;

(घ) निगमित ऋणी के कार्यों की मॉनीटरी करेगा ;

(ङ) निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निदेशक बोर्ड या भागीदारों की किन्हीं बाध्यताओं के भंग की दशा में, लेनदारों की समिति को इस अध्याय और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन सूचित करेगा ;

(च) लेनदारों की समिति का गठन करेगा और उसकी बैठकें बुलाएगा और उन सब में भाग लेगा ;

(छ) धारा 54छ के अधीन प्रस्तुत प्रारंभिक सूचना ज्ञापन के आधार पर सूचना ज्ञापन और कोई अन्य सुसंगत सूचना, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, तैयार करेगा ;

(ज) अध्याय 3 के अधीन या अध्याय 4 के अधीन कपटपूर्ण या सदोष व्यापारिक संव्यवहारों, यदि को हों, के अपवंचन के लिए आवेदन फाइल करेगा ; और

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) समाधान वृत्तिक निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) निगमित ऋणी के पास उपलब्ध सभी लेखाबहियों, अभिलेखों और उपलब्ध सूचना तक पहुंच करेगा ;

(ख) निगमित ऋणी की वित्तीय सूचना रखने वाली किसी सूचना उपयोगिता से निगमित ऋणी से सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तक पहुंच करेगा ;

(ग) सरकारी प्राधिकारियों, कानूनी लेखापरीक्षकों, लेखापालों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, के पास उपलब्ध निगमित ऋणी की लेखाबहियों, अभिलेखों और सुसंगत दस्तावेजों तक पहुंच करेगा ;

(घ) निगमित ऋणी के, यथास्थिति, सदस्यों, निदेशक बोर्ड और निदेशक समिति या भागीदारों की बैठकों में भाग लेगा ;

(ङ) लेखापालों, विधिक या अन्य वृत्तिकों की ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति करेगा ;

(च) निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति का अवधारण करने के लिए निगमित ऋणी की आस्तियों, वित्त और प्रचालनों और ऐसे संव्यवहारों की विद्‌यमानता, जो अध्याय 3 के अधीन संव्यवहारों के अपवंचन या अध्याय 4 के अधीन कपटपूर्ण या सदोष व्यापार से संबंधित सभी सूचना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित सूचना है, का संग्रहण करेगा,—

(i) पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से दो पूर्व वर्ष के लिए कारबार प्रचालन ;

(ii) पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से दो पूर्व वर्ष के लिए वित्तीय और प्रचालन संदाय ;

(iii) प्रारंभ होने की तारीख से आस्तियों और दायित्वों की सूची ; और

(iv) ऐसे अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं :

(छ) ऐसी रीति में, ऐसी अन्य कार्रवाई जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की तारीख से निगमित ऋणी के लेखाओं को रखने वाली वित्तीय संस्थाएं, निगमित ऋणी से संबंधित उनके पास उपलब्ध सभी सूचना वृत्तिक समाधान को जब कभी उसके द्‌वारा अपेक्षा हो, उपलब्ध कराएंगी ।

(5) निगमित ऋणी के कार्मिक, उसके संप्रवर्तक और निगमित ऋणी के प्रबंधन से सहबद्‌ध कोई अन्य व्यक्ति वृत्तिक समाधान को सभी सहायता और सहयोग, जब कभी उसके द्‌वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, प्रदान करेंगे, धारा 19 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध यथावश्यक उपांतरणों सहित इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होंगे ।

(6) समाधान वृत्तिक की फीस और उसके द्‌वारा पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने के लिए उपगत किसी व्यय का अवधारण ऐसी

रीति में किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु लेनदारों की समिति ऐसी फीस और व्यय पर सीमाएं और शर्तें अधिरोपित कर सकेगी :

परंतु यह और कि लेनदारों की समिति के गठन से पूर्व की अवधि के लिए फीस और व्यय उसके द्वारा अनुसमर्थन की शर्त के अधीन होगा ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट फीस और व्यय ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, चुकाया जाएगा ।

दावों की सूची और प्रारंभिक सूचना ज्ञापन ।

54छ. (1) निगमित ऋणी, पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से उस तारीख से अद्यतन निम्नलिखित सूचना दिवाला वृत्तिक को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, दो दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

(क) संबंधित लेनदारों के ब्यौरों के साथ दावों की सूची, उनका प्रतिभूति ब्याज और प्रत्याभूतियां, यदि कोई हों ; और

(ख) कोई समाधान योजना की विरचना करने के लिए सुसंगत सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए, प्रारंभिक सूचना ज्ञापन ।

(2) जब कोई व्यक्ति निगमित ऋणी द्वारा प्रस्तुत दावों की सूची में या प्रारंभिक सूचना ज्ञापन में किसी तात्विक सूचना का लोप या किसी भ्रामक सूचना को सम्मिलित करने के परिणास्वरूप कोई हानि या नुकसान उठाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो—

(क) निगमित ऋणी द्वारा दावों की सूची या प्रारंभिक सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करने के समय, यथास्थिति, निगमित ऋणी का संप्रवर्तक या निदेशक या भागीदार है ; या

(ख) दावों की सूची या निगमित ऋणी द्वारा प्रारंभिक सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना प्राधिकृत करता है,

धारा 77क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसी हानि या नुकसान उठाया है, को प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई व्यक्ति दायी नहीं होगा, यदि निगमित ऋणी द्वारा उसकी जानकारी या सहमति के बिना दावों की सूची या प्रारंभिक सूचना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था ।

(4) धारा 54ङ के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जिसे दावों की सूची या प्रारंभिक सूचना ज्ञापन में तात्विक सूचना का लोप या किसी भ्रामक सूचना को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप कोई हानि या नुकसान हुआ है, ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर की ईप्सा करने के लिए अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में जाने का हकदार होगा ।

निगमित ऋणी के कार्यों का प्रबंधन ।

54ज. पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान,—

(क) निगमित ऋणी के कार्यों का प्रबंधन निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निदेशक बोर्ड या भागीदारों में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो

विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित रहना जारी रहेगा ;

(ख) निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निदेशक बोर्ड या भागीदार या निगमित ऋणी की संपत्ति के मूल्य की संरक्षा और परिरक्षण करने के लिए प्रत्येक उपाय करेंगे और उसके प्रचालनों का चालू समुत्थान के रूप में प्रबंध करेंगे ; और

(ग) निगमित ऋणी के, यथास्थिति, संप्रवर्तक, सदस्य, कार्मिक और भागीदार निगमित ऋणी के संबंध में अपने संविदाजात या कानूनी अधिकारों और बाध्यताओं का उपयोग और निर्वहन इस अध्याय के उपबंधों और ऐसी अन्य शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए करेंगे जो विहित की जाए ।

लेनदारों की समिति ।

54झ. (1) समाधान वृत्तिक, पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से सात दिन के भीतर धारा 54च की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन पुष्टि किए गए दावों की सूची के आधार पर लेनदारों की समिति का गठन करेगा :

परंतु लेनदारों की समिति की संरचना में दावों की अद्‌यतन सूची के आधार पर ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, परिवर्तन किया जा सकेगा और कोई ऐसा परिवर्तन लेनदारों की समिति द्‌वारा पूर्व में लिए गए किन्हीं निर्णयों की वैध्यता को प्रभावित नहीं करेगा ।

(2) लेनदारों की समिति की पहली बैठक लेनदारों की समिति का गठन करने के सात दिन के भीतर आयोजित की जाएगी ।

(3) धारा 21 के उपबंध उसकी उपधारा (1) के सिवाय, यथावश्यक उपांतरणों सहित इस अध्याय के अधीन लेनदारों की समिति के संबंध में लागू होंगे :

परंतु इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 21 की उपधारा (9) और उपधारा (10) के अधीन "समाधान वृत्तिक" के प्रतिनिर्देशों का अर्थान्वयन "निगमित ऋणी या समाधान वृत्तिक" के प्रति निर्देशों के रूप में किया जाएगा ।

संकल्प वृत्ति के साथ निगमित ऋणी में प्रबंध का निहित होना ।

54ञ. (1) जहां लेनदारों की समिति पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय मतदान अंशों के पैंसठ प्रतिशत से अनधिक मत के द्‌वारा वृत्तिक समाधान के साथ निगमित ऋणी में प्रबंध को निहित करने के लिए संकल्प करती है तो समाधान वृत्तिक इस प्रयोजन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को एक आवेदन, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विनिर्दिष्ट किया जाए, करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की यह राय है की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान—

(क) निगमित ऋणी के क्रियाकलाप कपटपूर्ण रीति से संचालित किए गए हैं ; या

(ख) निगमित ऋणी के कार्यकलापों में घोर कुप्रबंध किया गया है,

तो यह समाधान वृत्तिक के साथ निगमित ऋणी में प्रबंध निहित करने के लिए एक आदेश पारित करेगा ।

(3) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) धारा 14 की उपधारा (2) और (2क) ;

(ख) धारा 17 ;

(ग) धारा 18 के खंड (ङ) से (छ) ;

(घ) धारा 19 और धारा 20 ;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (1) ;

(च) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ग) और खंड (ट) ; और

(छ) धारा 28,

के उपबंध, उपधारा (2) के अधीन आदेश की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को, जब तक पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

समाधान योजना का विचारणा और अनुमोदन ।

54ट. (1) निगमित, ऋणी धारा 54क की उपधारा (4) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट आधार समाधान योजना, पूर्व निर्धारित दिवाला आरंभ की तारीख से दो दिनों के भीतर समाधान वृत्तिक को प्रस्तुत करेगा और समाधान वृत्तिक इसे लेनदारों की समिति के समक्ष रखेगा ।

(2) लेनदारों की समिति, निगमित ऋणी को उपधारा (4) के अधीन उसके अनुमोदन से पहले या उपधारा (5) के अधीन पूर्वेक्षित समाधान आवेदक के आमंत्रण पर जैसा भी मामला हो, आधार संकल्प योजना के पुनरीक्षण के लिए एक अवसर प्रदान कर सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन प्रस्तुत की गई समाधान योजना और आधार समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होगी और धारा 30 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (5) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे ।

(4) लेनदारों की समिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए आधार समाधान योजना का अनुमोदन कर सकेगी, यदि वह निगमित ऋणी द्वारा स्वाधिकृत किसी दावे का परिचालन लेनदारों के लिए ह्रास नहीं करती है ।

(5) जहां—

(क) लेनदारों की समिति उपधारा (4) के अधीन आधार समाधान योजना का अनुमोदन नही करती है ; या

(ख) आधार समाधान योजना, ऋणी द्वारा स्वाधिकृत किसी दावे का परिचालन लेनदारों के लिए निगमित ह्रास करती है,

समाधान वृत्तिक आधार योजना के साथ पूर्ण करने के लिए समाधान योजना या योजनाएं, ऐसी रीति से जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करने के लिए भावी समाधान आवेदकों को आमंत्रित करेगा ।

(6) समाधान आवेदक उपधारा (5) के अधीन आमंत्रण के अनुसरण में समाधान योजना को प्रस्तुत करते हुए ऐसे मानदंड को जो निगमित ऋणी के कारबार के परिचालन की जटिलता और मापमान और ऐसी अन्य परिस्थितियां जो विनिर्दिष्ट की जाए, को ध्यान में रखते हुए, लेनदारों की समिति के अनुमोदन से

समाधान वृत्तिक द्वारा अधिकथित किए जाएं, पूरा करेगा ।

(7) समाधान वृत्तिक समाधान आवेदकों को—

(क) लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित उपधारा (9) के प्रयोजन के लिए समाधान योजना के मूल्यांकन के लिए ऐसे शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाए, आधार ऐसी परिस्थतियों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जाए ; और

(ख) धारा 29 में निर्दिष्ट सुसंगत सूचना, जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होगी, प्रदान करेगा ।

(8) समाधान वृत्तिक, लेनदारों की समिति को, समाधान योजना जो धारा 30 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप है, उसके मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(9) लेनदारों की समिति समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना का मूल्यांकन करेगी और उनमें से किसी एक समाधान योजना का चयन करेगी ।

(10) लेनदारों की समिति ऐसे मानदंड के आधार पर जो उसके द्वारा अधिकथित किए जाए, यह विनिश्चित करेगी कि उपधारा (9) के अधीन चयनित की गई समाधान योजना, आधार समाधान योजना से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां ऐसी समाधान योजना उपधारा (12) के अधीन अनुमोदन के लिए चयनित की जा सकेगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन लेनदारोें की समिति द्वारा अधिकथित मानदंड ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(11) जहां उपधारा (9) के अधीन चयनित की गई समाधान योजना अनुमोदन के लिए विचारित नहीं की जाती है या उपधारा (10) की अपेक्षाओं को पूरा नही करती है तो यह आधार समाधान योजना के साथ ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाए, पूरी होगी और उनमें से एक उपधारा (12) के अधीन अनुमोदन के लिए चयनित की जाएगी ;

(12) उपधारा (10) या उपधारा (11) के अधीन अनुमोदन के लिए चयनित की गई समाधान योजना जैसा भी मामला हो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत के लिए लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित की जा सकेगी :

परन्तु जहां उपधारा (11) के अधीन अनुमोदन के लिए चयनित की गई समाधान योजना लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है वहां समाधान वृत्तिक पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पर्यवसान के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, एक आवेदन दाखिल करेगा ।

(13) उपधारा (4) या उपधारा (12) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन, जैसा भी मामला हो लेनदारों की समिति द्वारा, धारा 53 की उपधारा (1) में यथा अधिकथित लेनदारों के बीच पूर्विकता के क्रम को ध्यान में रखते हुए जिसमें पूर्विकता और प्रतिभूत लेनदारों के सुरक्षित हित का मूल्य और ऐसी अन्य अपेक्षाएं जो विनिर्दिष्ट की जाएं, शामिल है इसकी साध्यता और व्यवहार्यता

प्रस्तावित वितरण की रीति, पर विचार करने के पश्चात् मतदान शेयरों के छियासठ प्रतिशत से अनधिक मत द्वारा, किया जाएगा ;

(14) जब समाधान योजना की साध्यता और व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा हो, जहां निगमित ऋणी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना निगमित ऋणी द्वारा स्वाधिकृत दावों के ह्रास के लिए उपबंध करता है तो लेनदारों की समिति निगमित ऋणी के प्रवर्तकों से निगमित ऋणी में उनके शेयरधारण या मत देने या नियंत्रण अधिकार कम करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु जहां समाधान योजना ऐसे कम करने के लिए उपबंध नहीं करती है, लेनदारों की समिति उपधारा (4) या उपधारा (12) के अधीन ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पहले जैसा भी मामला हो, उसके अनुमोदन के कारण अभिलिखित करेगी ।

(15) समाधान वृत्तिक, यथास्थिति उपधारा (4) या उपधारा (12) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि निगमित ऋणी धारा 5 के खंड (25) के अधीन समाधान आवेदक है, या तो स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से आधार समाधान योजना प्रस्तुत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण 2—उपधारा (4) और उपधारा (14) के प्रयोजन के लिए दावे ह्रासित करने के लिए विचारित किए जाएंगे जहां समाधान योजना, समाधान वृत्तिक द्वारा अनुरक्षित दावों की अद्यतन सूची के अनुसार पुष्टिकृत दावों के पूर्ण संदाय के लिए उपबंध नहीं करते हैं ।

समाधान योजना का अनुमोदन ।

54ठ. (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि यथास्थिति, धारा 54ट की उपधारा (4) या उपधारा (12) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना उसमें उपबंधित शर्तों के अध्यधीन धारा 30 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है, वह ऐसी समाधान योजना की प्राप्ति के दिन से तीस दिनों के भीतर आदेश द्वारा समाधान योजना अनुमोदित करेगा :

परन्तु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने से पहले यह समाधान करेगा कि समाधान योजना में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपबंध किए गए हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन का आदेश ऐसे प्रभावी होगा जैसा कि धारा 31 की उपधारा (1), (3) और (4) के अधीन उपबंधित किया गया है, जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा ।

(3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसी समाधान योजना की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आदेश द्वारा समाधान योजना नामंजूर कर सकेगा और धारा 54ढ के अधीन एक आदेश पारित करेगा ।

(4) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने धारा 54ञ की उपधारा (2) के अधीन एक आदेश पारित किया है और यथास्थिति, धारा 54ट की उपधारा (4) या उपधारा (12) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना, किसी व्यक्ति, जो प्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंध या नियंत्रण में नहीं था, के लिए निगमित ऋणी के प्रबंध या नियंत्रण में परिवर्तन का परिणाम नहीं है, निर्णायक प्राधिकारी—

(क) ऐसी समाधान योजना को नामंजूर करने के लिए एक आदेश पारित करेगा ;

(ख) पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का पर्यवसान करने और धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट निगमित ऋणी के संबंध में समापन का आदेश पारित करने के लिए एक आदेश पारित करेगा ;

(ग) यह घोषित करने के लिए कि पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत यदि कोई हो निगमित ऋणी के समापन के प्रयोजन के लिए समापन लागत के भाग के रूप में भी शामिल होगी, एक आदेश पारित करेगा ।

धारा 54ठ के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील ।

54ड. धारा 54ठ की उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन आदेश से कोई अपील धारा 61 की उपधारा (3) में अधिकथित आधारों पर की जाएगी ।

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का पर्यवसान ।

54ढ. (1) जहां समाधान वृतिक,—

(क) धारा 54ट की उपधारा (12) के उपबंधों के अधीन ; या

(ख) धारा 54घ की उपधारा (3) के अधीन, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को एक आवेदन फाइल करता है,

तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे आवेदन की तारीख से तीस दिनों के भीतर आदेश द्वारा,—

(i) पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया या पर्यवसान करेगा ; और

(ii) अध्याय 3 के अधीन संव्यवहार का परिवर्जन के लिए प्रारंभ की गई प्रक्रियाओं को जारी रखने की रीति या धारा 66 और धारा 67क के अधीन प्रारंभ की गई प्रक्रिया यदि कोई हो, के लिए उपबंध करेगा ।

(2) जहां समाधान वृतिक किसी भी समय पूर्व निर्धारित दिवाला के आरंभ की तारीख के पश्चात् किसी भी समय लेकिन, यथास्थिति, धारा 54ट की उपधारा (4) या उपधारा (12) जैसा भी मामला हो, के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन से पहले पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का पर्यवसान करने के लिए मतदान शेयरों के छियासठ प्रतिशत मत के द्वारा अनुमोदित लेनदार समिति के विनिश्चय को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचित करता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन एक आदेश पारित करेगा ।

(3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन एक आदेश पारित

करता है, तो निगमित ऋणी पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत यदि कोई हो, का वहन करेगा ।

(4) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने धारा 54ञ की उपधारा (2) के अधीन एक आदेश पारित किया है और पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का उपधारा (1) के अधीन पर्यवसान किया जाना अपेक्षित है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी—

(क) धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट निगमित ऋणी के संबंध में समापन का आदेश पारित करेगा ; और

(ख) यह घोषणा करने के लिए कि पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत यदि कोई हो, निगमित ऋणी के समापन के प्रयोजन के लिए समापन लागत के भाग के रूप में शामिल होगी, एक आदेश पारित करेगा ।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का आरंभ ।

54ण. (1) लेनदारों की समिति किसी भी समय पूर्व निर्धारित दिवाला के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् लेकिन, यथास्थिति, धारा 54ट की उपधारा (4) या उपधारा (12) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन करने से पहले मतदान शेयरों के छियासठ प्रतिशत मत द्वारा निगमित ऋणी के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए संकल्प कर सकेगी यदि ऐसा निगमित ऋणी अध्याय 2 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए अर्हित है ।

(2) अध्याय 2 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां समाधान वृत्तिक उपधारा (1) के अधीन लेनदारों की समिति के विनिश्चय को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचित करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसी सूचना की तारीख से तीन दिनों के भीतर,—

(क) पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया का पर्यवसान करने और निगमित ऋणी के संबंध में अध्याय 2 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए एक आदेश पारित करेगा ;

(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में जो विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे समाधान वृत्तिक द्वारा लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अध्यधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में धारा 54ङ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट समाधान वृत्तिक को नियुक्त करने के लिए एक आदेश पारित करेगा ;

(ग) यह घोषणा करने के लिए कि पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत यदि कोई हो, निगमित ऋणी के निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के भाग के रूप में शामिल होगी एक आदेश पारित करेगा ।

(3) जहां समाधान वृत्तिक उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन लिखित सहमति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 16 के अधीन यथा उपबंधित रीति में सिफारिश करने के लिए बोर्ड को निर्देश करते हुए

अंतरिम समाधान वृत्तिक को नियुक्त करेगा ।

(4) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करता है,—

(क) ऐसा आदेश धारा 7 के अधीन किसी आवेदन की स्वीकृती के आदेश के रूप में समझा जाएगा और उसका वही प्रभाव होगा ;

(ख) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी ;

(ग) अध्याय 3 के अधीन संव्यवहारों के परिवर्जन के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां या धारा 66 और धारा 67क के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियां यदि कोई हों, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान जारी रहेंगी ;

(घ) धारा 43, धारा 46 और धारा 50 के प्रयोजनों के लिए "दिवाला प्रारंभ तारीख" के प्रति संदर्भ से "पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ तारीख" अभिप्रेत होगी ; और

(ङ) धारा 43, धारा 46 और धारा 50 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सुसंगत समय या परिवर्जनीय संव्यवहार के लिए अवधि की गणना करने में पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के लिए समय अवधि भी शामिल होगी ।

इस अध्याय के लिए अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 6 और अध्याय 7 के उपबंधों का लागू होना ।

54त. (1) इस अध्याय के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 24, धारा 25क, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29क, धारा 32क, धारा 43 से धारा 51 के उपबंध और इस भाग के अध्याय 6 और अध्याय 7 के उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 24 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन "निलंबित निदेशक बोर्ड के सदस्यों या भागीदारों" के प्रतिनिर्देश का अर्थ "जब तक कि धारा 54ञ के अधीन निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता तब तक निदेशक बोर्ड के सदस्यों या भागीदारों" के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा" ;

(ख) धारा 26 के अधीन "धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ञ)" के प्रतिनिर्देश का अर्थ "धारा 54च की उपधारा (2) के खंड (ज)" के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(ग) धारा 27 के अधीन "धारा 16" के प्रतिनिर्देश का अर्थ "धारा 54ड़" के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(घ) धारा 28 की उपधारा (1) और उपधारा (4) में "समाधान वृत्तिक" के प्रतिनिर्देश का अर्थ "निगमित ऋणी" के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(ङ) धारा 61 की उपधारा (3) के अधीन "धारा 31" के प्रतिनिर्देश का

अर्थ “धारा 54ठ की उपधारा (1)” के प्रति के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(च) धारा 74 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में “धारा 14” के प्रतिनिर्देश का अर्थ “धारा 54ठ की उपधारा (1)” के प्रति के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(छ) धारा 74 की उपधारा (3) में “धारा 31” के प्रतिनिर्देश का अर्थ “धारा 54ठ की उपधारा (1)” के प्रति के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

(2) इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जहां अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 6 और अध्याय 7 के उपबंध इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों पर लागू किए गए हैं—

(क) “दिवाला प्रारंभ तारीख” के प्रतिनिर्देश का अर्थ “पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ तारीख” के प्रति प्रति के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(ख) “समाधान वृत्तिक” या “अंतरिम समाधान वृत्तिक” जैसा भी मामला हो के प्रतिनिर्देश का अर्थ इस अध्याय के अधीन नियुक्त किए गए समाधान वृत्तिक के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(ग) “निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया” के प्रतिनिर्देश का अर्थ “पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया” के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ; और

(घ) “दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि” के प्रतिनिर्देश का अर्थ “पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि” के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

धारा 61 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 61 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(4) धारा 33 या धारा 54ठ की उपधारा (4) या धारा 54ढ़ की उपधारा (4) के अधीन पारित किए गए समापन आदेश के विरूद्ध कोई अपील ऐसे समापन आदेश के संबंध में तात्विक अनियमितता या किए गए कपट के आधार पर फाइल की जा सकेगी ।

(5) धारा 54ण की उपधारा (2) के अधीन पारित किए गए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के आरंभ के लिए आदेश के विरूद्ध कोई अपील ऐसे किसी आदेश के संबंध में तात्विक अनियमितता या किए गए कपट के आधार पर फाइल की जा सकेगी ।”।

धारा 65 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) यदि कोई व्यक्ति—

(क) कपटपूर्वक या विद्वेषपूर्ण आशय से दिवाला के समाधान से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए ; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के साथ कपट करने से आशय से, पूर्व

निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करता है,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगी किंतु एक करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।"।

नई धारा 67क का अंत:स्थापन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 67 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी का कपटपूर्ण प्रबंध ।

"67क. पूर्व निर्धारित दिवाला प्रारंभ तारीख पर और पश्चात् जहां निगमित ऋणी का कोई अधिकारी अपने कार्यों का प्रबंध निगमित ऋणी के लेनदार के साथ कपट करने के आशय से या किसी कपटपूर्वक प्रयोजन के लिए करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान वृत्तिक द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे अधिकारी पर कोई शास्ति जो एक लाख रुपए से कम नही होगी लेकिन एक करोड़ रुपए तक हो सकेगी अधिरोपित करने के लिए आदेश पारित कर सकेगा ।"।

धारा 77 के स्पष्टीकरण का लोप ।

12. मूल अधिनियम की धारा 77 के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 77क का अंत:स्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 77 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में अपराधों के लिए दंड ।

"77क. (1) जहां—

(क) कोई निगमित ऋणी धारा 54ग के अधीन आवेदन में कोई जानकारी प्रदान करता है जो तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है, जिनका मिथ्या होना उसे ज्ञात है या किसी तात्विक तथ्य का जिसको तात्विक होना उसे ज्ञात है, लोप करता है ; या

(ख) कोई निगमित ऋणी दावे की सूची में या धारा 54छ की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक जानकारी ज्ञापन में कोई ऐसी जानकारी प्रदान करता है जो तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है, जिसका मिथ्या होना उसे ज्ञात है या किसी तात्विक तथ्य का जिसका तात्विक होना उसे ज्ञात है, लोप करता है ; या

(ग) कोई व्यक्ति जो जानते हुए और जानबूझकर उपखंड (क) और (ख) के अधीन ऐसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करता है या अनुज्ञात करता है,

यथास्थिति, ऐसा निगमित ऋणी या व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष से कम नही होगा लेकिन जो पांच वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम नही होगा लेकिन जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा ।

(2) यदि, यथास्थिति, निगमित ऋणी का कोई निदेशक या भागीदार अध्याय 3.क के उपबंधों का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम नही होगा लेकिन जो एक करोड़ रूपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 75, धारा 76 और धारा 77 के प्रयोजन के लिए कोई आवेदन तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या समझा जाएगा यदि आवेदन में उल्लिखित किए गए तथ्यों या लोप किए गए चाहे वह सत्य है या नहीं, यथास्थिति, आवेदन से लोप किए गए है इस संहिता के अधीन व्यतिक्रम के अस्तित्व को अवधारित करने के लिए पर्याप्त होंगे ।"।

धारा 208 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 208 में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"(गक) भाग 2 के अध्याय 3-क के अधीन पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया ;";

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां समाधान वृतिक के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित, दिवाला वृत्तिक का नाम धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन अनुमोदित किया जाता है, वहां ऐसे दिवाला वृत्तिक का कृत्य होगा कि भाग 2 के अध्याय 3.क के अधीन पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व अपने कृत्य या कर्तव्य के पालन करने के लिए ऐसी कार्रवाई करे जो आवश्यक हो ।" ।

धारा 239 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 239 में उपधारा (2) के खंड "(चग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चघ) धारा 54ग की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए प्ररूप, विशिष्टियां, रीति और फीस ;

(चङ) शर्तें और निर्बधन जिन पर निगमित ऋणी के प्रवर्तक, सदस्य, कार्मिक और भागीदार धारा 54ज के खंड (ग) के अधीन संविदात्मक या कानूनी अधिकार और बाध्यता का प्रयोग या पालन करेंगे ;" ।

धारा 240 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) धारा 5 के खंड (23ग) के उपखंड (ङ) के अधीन अन्य लागत ;" ;

(ii) खंड (यट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(यटक) ऐसे वित्तीय लेनदारों की संख्या और दिवाला वृत्तिक प्रस्तावित करने की रीति और खंड (ङ) के अधीन वित्तीय लेनदारों द्वारा ऐसे दिवाला वृत्तिक का अनुमोदन करने के लिए प्ररूप, व्यक्ति जो खंड (ङ) के परन्तुक के अधीन अनुमोदन प्रदान करेगा, धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप ;

(यटख) उपधारा (3) के अधीन वित्तीय लेनदारों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्ररूप और व्यक्ति जो धारा 54क की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन अनुमोदन प्रदान करेगा ;

(यटग) खंड (ग) के अधीन आधार समाधान योजना के लिए अन्य शर्तें और धारा 54क की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन ऐसी सूचना और दस्तावेज ;

(यटघ) प्ररूप जिसमें खंड (क) के अधीन रिपोर्ट तैयार की जानी है, खंड (ख) के अधीन ऐसी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसे अन्य कर्तव्य और धारा 54ख की उपधारा (3) के अधीन फीस अवधारित और वहन करने की रीति ;

(यटङ) खंड (ख) के अधीन दिवाला वृत्तिक की लिखित सहमति प्रदान करने के लिए प्ररूप, खंड (ग) के अधीन घोषणा का प्ररूप, लेखा बहियों से संबंधित जानकारी और 54ग की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन ऐसी अवधि से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेज ;

(यटच) धारा 54घ की उपधारा (3) के अधीन पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पर्यवसान के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(यटछ) धारा 54ङ की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लोक आख्यापन करने का प्ररूप और रीति ;

(यटज) खंड (क) के अधीन दावे की सूची की पुष्टि की रीति, खंड (ख) के अधीन लेनदारों को जानकारी देने की रीति, खंड (ग) के अधीन दावों की अद्यतन् सूची अनुरक्षित करने की रीति, खंड (छ) के अधीन जानकारी ज्ञापन तैयार करने का प्ररूप और रीति, और धारा 54च की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन ऐसे अन्य कर्तव्य ;

(यटझ) खंड (ग) के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति, खंड (ङ) के अधीन लेखाकार, विधिक या अन्य वृत्तिकों की नियुक्ति करने की रीति, खंड (च) के उपखंड (iv) के अधीन ऐसे अन्य मामले और धारा 54च की उपधारा (3) के खंड (छ) के अधीन अन्य कार्रवाई करने की रीति ;

(यटञ) फीस और व्यय अवधारित करने की रीति जो धारा 54च की उपधारा (6) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा उपगत की जाए ;

(यटट) धारा 54 की उपधारा (7) के अधीन फीस और व्यय वहन करने की रीति ;

(यटठ) धारा 54छ की उपधारा (1) के अधीन दावों की सूची का प्ररूप और रीति और प्रारंभिक जानकारी ज्ञापन ;

(यटड) धारा 54ज के खंड (क) के अधीन शर्तें ;

(यटढ) धारा 54झ की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन लेनदारों की समिति की संरचना के परिवर्तन की रीति ;

(यटण) धारा 54ञ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप

और रीति ;

(यटत) धारा 54ट की उपधारा (5) के अधीन पूर्वेक्षित समाधान आवेदक आमंत्रित करने की रीति ;

(यटथ) धारा 54ट की उपधारा (6) के अधीन अन्य शर्तें ;

(यटद) धारा 54ट की उपधारा (7) के अधीन खंड (क) के अधीन शर्तें और धारा 29 में निर्दिष्ट समाधान योजना और जानकारी के मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करने की रीति तथा जानकारी ;

(यटध) धारा 54ट की उपधारा (10) के परन्तुक के अधीन शर्तें ;

(यटन) धारा 54ट की उपधारा (11) के अधीन रीति और शर्तें ;

(यटप) धारा 54ट की उपधारा (12) के परन्तुक के अधीन आवेदन फाइल करने का प्ररूप और रीति ;

(यटफ) धारा 54ट की उपधारा (13) के अधीन अन्य अपेक्षाएं ;

(यटब) धारा 54ण की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन लिखित सहमति प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप ;"।

धारा 240क का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 240क की उपधारा (1) में "निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्दों के पश्चात् "या पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

18. (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2021 का अध्यादेश सं० 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 निगमित व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों, व्यष्टियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए तथा उसके अधीन वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियमित की गई थी । पूर्व में संहिता उभड़ती हुई बाजार वास्तविकताओं से व्यौहार करने और विधि के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं की अभिनिश्चितता प्राप्त करने के लिए संशोधित की गई थी ।

2. कोविड-19 महामारी ने भारत सहित संपूर्ण विश्व में कारबार, वित्तीय बाजार और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है । सरकार ने महामारी द्वारा कारित संकट को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए व्यतिक्रम की न्यूनतम रकम को एक करोड़ रुपए तक बढ़ाना और 25 मार्च, 2020 से 24 मार्च, 2021 के मध्य एक वर्ष की कालावधि के दौरान उद्भूत व्यतिक्रमों के संबंध में निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने का निलंबन सम्मिलित है । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम क्षेत्र हमारे सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते है तथा एक बड़ी जनसंख्या को नियोजन प्रदान करते हैं । इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि द्रुतगामी, लागत-प्रभावी दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए जो अन्य उद्देश्यों के मध्य नौकरियों के परिरक्षण को सुनिश्चित करते हुए कारबारों के लिए न्यूनतम विघटनकारी है, संहिता के अधीन दक्ष और वैकल्पिक ढ़ाचा प्रदान करके विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं पर तुरंत ध्यान दिया जाए ।

3. उपरोक्त परिस्थितियों में पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया हेतु उपबंध करने के लिए संहिता का संशोधन आवश्यक हो गया है । तथापि, संसद सत्र में नहीं थी और तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित किया गया था ।

4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 जो अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है, अन्य बातों के साथ उपबंध करता है—

(क) पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक करोड़ रुपए से अनधिक की न्यूनतम सीमा विनिर्दिष्ट करना ;

(ख) समान निगमित ऋणी के विरुद्ध लंबित निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया और पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए एक साथ आवेदनों का निपटान ;

(ग) एक नये अध्याय 3-क जिसमें धारा 54क से धारा 54क अंतर्विष्ट है, का निगमित व्यक्तियों जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, के लिए पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया सुकर बनाने के लिए अंत:स्थापन ;

(घ) पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के कपटपूर्ण या दोषपूर्ण अथवा

व्यक्तियों के साथ कपट करने के आशय से प्रारंभ के लिए शास्ति;

(ङ) पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी के कपटपूर्ण प्रबंधन के लिए शास्ति;

(च) पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित अपराधों के लिए शास्ति;

(छ) सुसंगत उपबंधों का कतिपय संशोधन, जो पारिणामिक प्रवृत्ति के हैं ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **निर्मला सीतारामन**

19 जुलाई, 2021

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 15 केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित विषयों के बारे में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, अर्थात् :—

(क) धारा 54ग की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए प्ररूप, विशिष्टियां, रीति और फीस

(ख) धारा 54ज के खंड (ग) के अधीन वे शर्तें और निर्बंधन जिनमें संपर्वतक, सदस्य, कार्मिक और निगमित ऋणी के भागीदार अपने संविदाजात या कानूनी अधिकारों और बाध्यताओं का उपयोग और निर्वहन करेंगे ।

विधेयक का खंड 16 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को निम्नलिखित विषयों के बारे में विनियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के खंड 23ग के उपखंड (ङ) के अधीन अन्य लागत ;

(ख) धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन वित्तीय लेनदारों की ऐसी संख्या और दिवाला वृत्तिक प्रस्ताव करने की रीति और वित्तीय लेनदारों द्वारा ऐसे दिवाला वृत्तिक का अनुमोदन करने के लिए प्ररूप खंड (ङ) के परन्तुक के अधीन, ऐसे व्यक्ति जो अनुमोदन करने के लिए उपबंधित हैं, खंड (च) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप ;

(ग) धारा 54क के उपखंड (3) के अधीन वित्तीय लेनदारों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्ररूप और उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन ऐसे व्यक्ति जो अनुमोदन करने के लिए उपबंधित हैं ;

(घ) धारा 54क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आधार समाधान योजना के लिए अन्य शर्तें, और खंड (घ) के अधीन ऐसी अन्य सूचना और दस्तावेज ;

(ङ) धारा 54ख की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वह प्ररूप जिसमें रिपोर्ट तैयार की जानी है, खंड (ख) के अधीन ऐसी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज और खंड (ग) के अधीन ऐसे अन्य कर्तव्य और उपधारा (3) के अधीन फीस का अवधारण करने की रीति ;

(च) धारा 54ग की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन दिवाला वृत्तिक की लिखित सहमति उपबंधित करने के लिए प्ररूप, खंड (ग) के अधीन घोषणा के लिए प्ररूप, खंड (घ) के अधीन लेखाबहियों और ऐसी कालावधी से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेजों से संबंधित सूचना ;

(छ) धारा 54घ की उपधारा (3) के अधीन पूर्वनिर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पर्यवसान के लिए आवेदन करने हेतु प्ररूप और रीति ;

(ज) धारा 54ङ की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लोक घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(झ) धारा 54च की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दावों की सूची को

पुष्ट करने की रीति, खंड (ख) के अधीन लेनदारों को सुचित करने की रीति, खंड (ग) के अधीन दावों के सूची को अद्यतन रखने की रीति, खंड (छ) के अधीन सूचना ज्ञापन को तैयार करने का प्ररूप और रीति, खंड (झ) के अधीन और ऐसे अन्य कर्तव्य ;

(ञ) धारा 54च की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति, खंड (ङ) के अधीन लेखापालो, विधिक और अन्य वृत्तिको को नियुक्त करने की रीति, खंड (च) के उपखंड (iv) के अधीन ऐसे अन्य विषय, और खंड (छ) के अधीन ऐसे अन्य कार्रवाई करने की रीति ;

(ट) धारा 54च की उपधारा (6) के अधीन फीस और व्यय को अवधारण करने की रीति जो समाधान वृत्तिक द्वारा उपगत किया जा सके ;

(ठ) धारा 54च की उपधारा (7) के अधीन फीस और व्यय वहन करने की रीति ;

(ड) धारा 54छ की उपधारा (1) के अधीन दावों की सूची और प्रारंभिक सूचना ज्ञापन का प्ररूप और रीति ;

(ढ़) धारा 54ज के खंड (क) के अधीन शर्ते ;

(ण) धारा 54झ की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन लेनदारों की समिति के गठन को उपांतरित करने की रीति ;

(त) धारा 54ञ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(थ) धारा 54ट की उपधारा (5) के अधीन भावी समाधान आवेदकों को आमंत्रित करने की रीति ;

(द) धारा 54ट की उपधारा (5) के अधीन अन्य शर्तें ;

(ध) धारा 54ट की उपधारा (7) के खंड (क) के अधीन शर्ते और समाधान योजना के मूल्यांकन के लिए आधारिक उपबंध करने की रीति और धारा 29 में निर्दिष्ट सूचना ;

(न) धारा 54ट की उपधारा (10) के परन्तुक के अधीन शर्ते ;

(प) धारा 54ट की उपधारा (11) के अधीन रीति और शर्ते ;

(फ) धारा 54ट की उपधारा (12) के परन्तुक के अधीन आवेदन दाखिल करने का प्ररूप और रीति ;

(ब) धारा 54ट की उपधारा (13) के अधीन अन्य अपेक्षाएं ;

(भ) धारा 54ण की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन लिखित सहमति प्रस्तुत करने का प्ररूप ;

2. वे विषय जिनके संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरें के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

*   *   *   *   *

भाग 2

निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन

अध्याय 1

प्रारंभिक

4. यह भाग निगमित ऋणियों के दिवाला और परिसमापन से संबंधित विषयों को वहां लागू होगा, जहां व्यतिक्रम की न्यूनतम रकम एक लाख रुपए है : इस भाग का लागू होना।

परन्तु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उच्चतर मूल्य के व्यतिक्रम की न्यूनतम रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

5. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

*   *   *   *   *

(5) "निगमित आवेदक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

*   *   *   *   *

(ख) निगमित ऋणी का कोई सदस्य या भागीदार, जो निगमित ऋणी के संवैधानिक दस्तावेजों के अधीन निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन करने के लिए प्राधिकृत है; या

*   *   *   *   *

(11) "आरम्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको, यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार, वित्तीय ऋणी या प्रचालन लेनदार निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कोई आवेदन करता है;

*   *   *   *   *

(15) "अंतरिम वित्त" से दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा लिया गया कोई वित्तीय ऋण अभिप्रेत है;

*   *   *   *   *

(19) इस भाग के अध्याय 7 के प्रयोजनों के लिए "अधिकारी" से, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (60) में यथा परिभाषित ऐसा अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया है या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा परिभाषित कोई अभिहित भागीदार अभिप्रेत है;

2013 का 18

2009 का 6

*   *   *   *   *

(25) "समाधान आवेदक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समाधान वृत्तिकों के समक्ष कोई समाधान योजना प्रस्तुत करता है;

*   *   *   *   *

(27) इस भाग के प्रयोजन के लिए "समाधान वृत्तिक" से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने के लिए नियुक्त कोई दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत अंतरिम समाधान वृत्तिक भी है; और

*   *   *   *   *

व्यक्ति जो आवेदन करने के लिए हकदार नहीं ।

11. निम्नलिखित व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) कोई निगमित ऋणी जो किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को भुगत रहा है; या

*   *   *   *   *

अध्याय 3

परिसमापन प्रक्रिया

परिसमापन का आरंभ ।

33. (1)   *   *   *   *

(3) जहां संबंधित निगमित ऋणी द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन किया जाता है, वहां निगमित ऋणी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हितों पर ऐसे उल्लंघन द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और खण्ड (iii) में यथानिर्दिष्ट किसी परिसमापन आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

*   *   *   *   *

समापक की नियुक्ति और उसे संदत्त की जाने वाली फीस ।

34. (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 33 के अधीन निगमित ऋणी के समापन का कोई आदेश पारित करता है, वहां अध्याय 2 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त समाधान वृत्तिक, जब तक उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा बदला न जाए, समापन के प्रयोजनों के लिए समापक के रूप में कार्य करेगा ।

*   *   *   *   *

अपीलें और अपील प्राधिकारी ।

61. (1)   *   *   *   *

(4) धारा 33 के अधीन पारित समापन आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे किसी समापन आदेश के सम्बन्ध में की गई तात्विक अनियमितता या कपट के आधार पर फाइल की जा सकेगी ।

*   *   *   *   *

निगमित ऋणी द्वारा किए गए आवेदन में मिथ्या सूचना देने के लिए दण्ड ।

77. जहां—

(क) कोई निगमित ऋणी धारा 10 के अधीन आवेदन में ऐसी सूचना देगा जो तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है जिसका मिथ्या होना वह जानता है या

कोई तात्त्विक तथ्य देने में जानबूझकर लोप करेगा; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो यह जानते हुए और जानबूझकर उपखंड (क) के अधीन दी गई ऐसी सूचना को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा,

वहां, यथास्थिति, ऐसा निगमित ऋणी या व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की कम की नहीं होगी किन्तु जो, पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के और धारा 75 और धारा 76 के प्रयोजन के लिए, निगमित ऋणी द्वारा फाइल किए गए आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है, यदि आवेदन में वर्णित या लोप किए गए तथ्य, यदि वे, यथास्थिति, सही होते या उनका आवेदन से लोप न किया गया होता तो वे इस संहिता के अधीन व्यतिक्रम की विद्यमानता का अवधारण करने के लिए पर्याप्त होते ।

*   *   *   *   *

इस संहिता का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लागू होना ।

240क. (1) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी**,** धारा 29क के खंड (ग) और खंड (ज) के उपबंध किसी सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यमों की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित समाधान आवेदक को लागू नहीं होंगे ।

*   *   *   *   *